

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 अप्रैल 2018—चैत्र 15, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. 5645-95-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 3 अप्रैल 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१८

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.
४. स्थानीय प्राधिकरण निधि.
५. उपकर का भार.
६. उपकर का संदाय.
७. रजिस्ट्रीकरण.
८. कतिपय परिस्थितियों में प्रतिदाय.
९. फर्मों का दायित्व.
१०. उपकर प्राधिकारी.
११. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
१२. कार्यवाहियों के अंतरण की शक्ति.
१३. बेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.
१४. कतिपय विक्रयों का उपकर के अधीन दायी न होना.
१५. नियम बनाने की शक्ति.
१६. कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.
१७. निरसन तथा व्यावृत्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् २०१८

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८

[दिनांक ३ अप्रैल २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ५ अप्रैल, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में नगरीय परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन अथवा उसके लिए प्राप्त किए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए मध्यप्रदेश राज्य में मोटर स्पिरिट (सामान्यतः पेट्रोल के नाम से जाना जाता है) के विक्रय पर उपकर उद्गृहीत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, २०१८ है.

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

(क) "उपकर" से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन उद्गृहीत मोटर स्पिरिट के करयोग्य कुल राशि पर देय उपकर;

(ख) "व्यापारी" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, जो मोटर स्पिरिट के क्रय, विक्रय, प्रदाय या वितरण का कारबार करता है;

(ग) "रजिस्ट्रीकृत व्यापारी" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी;

(घ) "नियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम;

(ङ) "कर" से अभिप्रेत है, वेट अधिनियम के अधीन देय कर और अतिरिक्त कर;

(च) किसी व्यापारी के संबंध में "करयोग्य कुल राशि" (टैक्सेबल टर्न ओवर) से अभिप्रेत है, व्यापारी की कुल राशि का वह भाग, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी के हाथ में ऐसे मोटर स्पिरिट के उस विक्रय मूल्य को, जिससे इसे क्रय किया गया है तथा जिस पर विक्रेता रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने उपकर संदत्त किया है, घटाने के पश्चात् शेष बचता है;

(छ) "कुल राशि" (टर्न ओवर) से अभिप्रेत है, मोटर स्पिरिट के किसी विक्रय या प्रदाय या वितरण के संबंध में किसी व्यापारी द्वारा प्राप्त किए गए तथा प्राप्त किए जाने योग्य विक्रय मूल्य की कुल राशि जिसमें खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित कर की राशि सम्मिलित है;

(ज) "वेट अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्र. २० सन् २००२).

(२) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयोग में लाई गई हैं और परिभाषित नहीं की गई हैं किंतु वेट अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, क्रमशः वे ही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं.

उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण.

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में नगरीय परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए निधि उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए, राज्य के भीतर व्यापारी की मोटर स्पिरिट की करयोग्य कुल राशि पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन उपकर, ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, ऐसे मोटर स्पिरिट की करयोग्य कुल राशि के एक प्रतिशत की दर से, ऐसी रीति में उद्गृहीत किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.

(३) उपधारा (१) के अधीन उद्गृहीत उपकर व्यापारी द्वारा देय होगा.

स्थानीय प्राधिकरण निधि.

४. (१) इस अधिनियम के अधीन वसूल किए गए उपकर और ब्याज (जुमाने को छोड़कर) के आगम, प्रथमतः राज्यसंचित निधि में जमा किए जाएंगे और संग्रहण तथा उससे हुई वसूली के व्ययों की कटौती के पश्चात्, इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् रूप से किए गए विनियोजन के अधीन, मध्यप्रदेश नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के नाम से ज्ञात, एक पृथक् निधि में प्रविष्ट और अंतरित किए जाएंगे.

(२) मध्यप्रदेश नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि में अंतरित रकम को धारा ३ के अधीन राज्य के भीतर नगरीय परिवहन अधोसंरचना के विकास के लिए या उस हेतु लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान के लिए व्यय किया जाएगा.

उपकर का भार.

५. वेट अधिनियम के अधीन मोटर स्पिरिट पर कर का भुगतान करने के लिए दायी प्रत्येक व्यापारी, इस अधिनियम के अधीन उसके मोटर स्पिरिट की करयोग्य कुल राशि पर, उपकर के भुगतान का दायी होगा.

उपकर का भुगतान.

६. धारा ३ के अधीन उद्गृहीत उपकर, व्यापारी द्वारा, ऐसी रीति में देय होगा, जैसा कि विहित किया जाए.

रजिस्ट्रीकरण.

७. वेट अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मोटर स्पिरिट में संव्यवहार कर रहे प्रत्येक व्यापारी को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी समझा जाएगा.

कतिपय परिस्थितियों में प्रतिदाय.

८. जहां धारा ३ के अधीन मोटर स्पिरिट की करयोग्य कुल राशि पर उपकर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता हो और ऐसी मोटर स्पिरिट उसके बाद किसी व्यापारी द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय कर दिया जाता है या भारत की सीमा के बाहर निर्यात कर दिया जाता है वहां व्यापारी, इस निमित्त दिए गए आवेदन पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं, उसके द्वारा किए गए मोटर स्पिरिट के ऐसे विक्रय के संबंध में उपकर के प्रतिदाय का हकदार होगा.

फर्मों का दायित्व.

९. जहां कोई कारबार किसी फर्म के स्वामित्व का है या उसके द्वारा प्रबंधित या चलाया जा रहा है वहां फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार, इस अधिनियम के अधीन संयुक्तः और पृथक्त्तः उपकर के भुगतान का दायी होगा:

परंतु जहां कन्वेई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है वहां उसकी सेवानिवृत्ति के समय वह इस अधिनियम के अधीन शेष रहे देय उपकर, शास्ति, ब्याज या कोई अन्य राशि के और उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक शोध्य हुआ कोई उपकर, चाहे उपकर या शास्ति या ब्याज के उद्ग्रहण का निर्धारण पश्चात्पूर्वी तारीख को किया गया है, भुगतान का दायी होगा.

उपकर प्राधिकारी.

१०. इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, वेट अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी और प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किए गए अधिकारी समझे जाएंगे.

शक्तियों का प्रत्यायोजन.

११. आयुक्त, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त किन्हीं शक्तियों को धारा १० के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

१२. आयुक्त, किसी व्यापारी को सम्यक् सूचना के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन, किन्हीं कार्यवाहियों अथवा कार्यवाहियों के वर्ग को स्वयं के पास से किसी अन्य अधिकारी को अंतरित कर सकेगा और इसी प्रकार किसी ऐसे अधिकारी से दूसरे अधिकारी या स्वयं को किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों को (इस धारा के अधीन पहले से अंतरित कार्यवाहियों को सम्मिलित करते हुए) अंतरित कर सकेगा.

कार्यवाहियों के अंतरण की शक्ति.

१३. इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वेट अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं जिसमें रजिस्ट्रीकरण, कर भुगतान करने के दायित्व का निर्धारण, विवरणियां, निर्धारण, स्व-निर्धारण, पुनर्निर्धारण, कर का भुगतान एवं वसूली, लेखे, कर अपवंचन की पहचान और उसका निवारण, प्रतिदाय, अपील, पुनरीक्षण, परिशोधन, अपराध और शास्तियां तथा अन्य प्रकीर्ण विषय से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं, यथावश्यक परिवर्तन सहित, किसी व्यापारी को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और देय उपकर, ब्याज या शास्ति के संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि ये उपबंध इस अधिनियम में यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम में समाविष्ट कर लिए गए हों और यह समझा जाएगा कि उन उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम और जारी किए गए आदेश तथा अधिसूचनाएं, यथावश्यक परिवर्तन सहित उन सुसंगत उपबंधों के अधीन बनाए गए या जारी किए गए थे/जारी की गई थी जो इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट किए गए हैं.

वेट अधिनियमों के कतिपय उपबंधों का लागू होना.

१४. (१) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की कोई भी बात, मोटर स्पिरिट की कुल राशि (टर्नओवर) पर किसी उपकर को अधिरोपित करना या अधिरोपण प्राधिकृत करना नहीं समझी जाएगी, जहां ऐसा विक्रय—

कतिपय विक्रयों का उपकर के अधीन दायी न होना.

- (क) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर, या
- (ख) भारत के क्षेत्र में ऐसे मोटर स्पिरिट को आयात या ऐसे क्षेत्र से माल के निर्यात के अनुक्रम में, या
- (ग) अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में, या
- (घ) जहां ऐसा विक्रय विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, २००५ (२००५ का २८) के उपबंधों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र में अवस्थित इकाई को,

किया जाता हो.

(२) इस धारा के प्रयोजन के लिए जहां कोई विक्रय—

- (क) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर, या
- (ख) भारत क्षेत्र के भीतर आयात के अनुक्रम में या ऐसे क्षेत्र के बाहर माल के निर्यात, या
- (ग) अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता हो, तो इसका निर्धारण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा ३, ४ और ५ में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा.

१५. (१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित को विहित करते हुए नियम बना सकेगी,—

- (क) प्ररूप और रीति जिसमें विवरणियां प्रस्तुत की जाएंगी;
- (ख) प्ररूप और रीति जिसमें और कालावधि जिसके पहले उपकर का भुगतान किया जाएगा;
- (ग) प्ररूप जिसमें निर्धारण का आदेश पारित किया जाएगा;
- (घ) प्ररूप जिसमें मांग-पत्र की सूचना जारी की जाएगी.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति.

१६. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

निरसन तथा व्यावृत्ति.

१७ (१) मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अध्यादेश, २०१८ (क्रमांक २ सन् २०१८) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. 5645-95-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 OF 2018

THE MADHYA PRADESH MOTOR, SPIRIT UPKAR ADHINIYAM, 2018

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Levy and collection of cess.
4. Local Authorities Fund.
5. Incidence of cess.
6. Payment of cess.
7. Registration.
8. Refund in certain circumstances.
9. Liability of firms.
10. Cess Authorities.
11. Delegation of powers.
12. Powers to transfer proceedings.
13. Certain provisions of VAT Act to apply.
14. Certain sales not liable to cess.
15. Power to make rules,
16. Power to remove difficulties.
17. Repeal and saving.

MADHYA PRADESH ACT
No. 11 OF 2018

THE MADHYA PRADESH MOTOR, SPIRIT UPKAR ADHINIYAM, 2018

[Received the assent of the Governor on the 3rd April, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 5th April, 2018.]

An Act to levy cess on sale of motor spirit (commonly known as petrol) in the State of Madhya Pradesh for the purpose of providing fund for development of urban transport infrastructure in the State of Madhya Pradesh or for repaying the loan taken therefor.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam, 2018.
- (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**Short title,
extent and
commencement.**

2. (1) In this Act, unless the context otheswise requires,—

Definitions.

- (a) "cess" means the cess payable on the taxable turnover of motor spirit levied under section 3;
- (b) "dealer" means any person who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing motor spirit;
- (c) "registered dealer" means a dealer registered under this Act;
- (d) "rules" means rules made under this Act;
- (e) "tax" means tax and additional tax payable under the VAT Act;
- (f) "taxable turnover" in relation to a dealer means that part of dealer's turnover which remains after deducting therefrom the sale price of motor spirit at the hands of the registered dealer from whom it has been purchased, subject to the condition that the selling registered dealer has paid cess on such sale price;
- (g) "turnover" means aggregate of the amount of sale prices received and receivable by a dealer in respect of any sale or supply or distribution of motor spirit including the amount of tax as defined in clause (e);
- (h) "VAT Act" means the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002).

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the VAT Act, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. (1) For the purpose of providing fund for the development of urban transport infrastructure in the State of Madhya Pradesh, there shall be levied and collected a cess on the taxable turnover of motor spirit of a dealer, within the State.

**Levy and
collection of cess.**

(2) The cess under sub-section (1) shall be levied for such period as notified by the State Government at the rate of one percent of the taxable turnover of such motor spirit, in such manner as may be prescribed.

(3) The cess levied under sub-section (1) shall be payable by the dealer;

4. (1) The proceeds of the cess and interest (other than fines) recovered under this Act shall first be credited to the Consolidated Fund of the State and after deduction of the expenses of collection and recovery therefrom shall, under appropriation duly made by law in this behalf, be entered in, and transferred to, separate fund called the Madhya Pradesh Urban Transport Infrastructure Development Fund.

**Local Authorities
Fund.**

(2) The amount transferred to the Madhya Pradesh Urban Transport Infrastructure Development Fund shall be expensed for the development of urban transport infrastructure within the State or for repaying the loan taken therefor.

Incidence of cess

5. Every dealer liable to pay tax on motor spirit under VAT Act shall be liable to pay cess on his taxable turnover of motor spirit under this Act.

Payment of cess.

6. The cess levied under Section 3 shall be payable by the dealer in such manner as may be prescribed.

Registration.

7. Every dealer registered under the VAT Act dealing in motor spirit shall be deemed registered dealer under this Act.

Refund in certain circumstances.

8. Where cess under Section 3 is levied and collected on the taxable turnover of motor spirit and such motor spirit is subsequently sold by a dealer in the course of inter-State trade or commerce or exported out of the territory of India, the dealer shall, upon an application made in this behalf and subject to such conditions as may be prescribed, be entitled to refund of cess in respect of such sale by him of the motor spirit.

Liability of firms.

9. Where a business is owned, managed or run by a firm, the firm and each of the partners of the firm shall jointly and severally be liable to pay cess under this Act:

Provided that where any partner retires from the firm he shall be liable to pay the cess, penalty, interest or any other amount payable under this Act remaining unpaid at the time of his retirement, and any cess due up to the date of his retirement, even if assessment of cess, or levy of penalty or interest is made at a later date.

Cess Authorities.

10. For carrying out the purposes of this Act, the officers and authorities appointed under VAT Act shall be deemed to be the officers appointed under the provisions of this Act.

Delegation of powers.

11. Subject to the general or special orders of the State Government, the Commissioner may delegate any of the powers conferred upon him by or under this Act to any person appointed to assist him under Section 10.

Powers to transfer proceedings.

12. The Commissioner may, after due notice to the dealer, by order in writing, transfer any proceedings or class of proceedings under any provisions of this Act or the rules made thereunder, from himself to any other officer and he may likewise transfer any such proceedings (including proceeding already transferred under this section) from one such officer to another officer or to himself.

Certain provisions of VAT Act to apply.

13. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the provisions of the VAT Act and the rules made, orders and notifications issued thereunder, including the provisions relating to registration, determination of liability to pay tax, returns, assessment, self-assessment, reassessment, payment and recovery of tax, accounts, detection and prevention of tax evasion, refund, appeal, revision, rectification, offences and penalties and other miscellaneous matter, shall mutatis mutandis apply to a dealer in respect of cess, interest or penalty levied and payable under this Act as if these provisions were mutatis mutandis incorporated in this Act, and it shall be deemed that the rules made and orders and notifications issued under those provisions were mutatis mutandis made or issued under the relevant provisions as so incorporated in this Act.

Certain sales not liable to cess.

14. (1) Nothing in this Act or the rules made thereunder, shall be deemed to impose or authorize the imposition of a cess on any turnover of motor spirit where such sales take place.

- (a) outside the State of Madhya Pradesh, or
- (b) in the course of the import of such motor spirit into the territory of India or the export of the goods out of such territory, or

- (c) in the course of inter-state trade or commerce, or
- (d) where such sale is made to unit located in a Special Economic Zone notified by the Central Government under the provisions of the Special Economic Zones Act, 2005 (No. 28 of 2005).

(2) For the purpose of this Section, where a sale takes place—

- (a) outside the State of Madhya Pradesh, or
- (b) in the course of import of the goods into the territory of India or the export of the goods out of such territory, or
- (c) in the course of inter-State trade or commerce, it shall be determined in accordance with the principles specified in Sections 3, 4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).

15. (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Act,

Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules prescribing.—

- (a) the form and the manner in which the returns shall be filed;
- (b) the form and the manner in which and the period before which cess shall be paid;
- (c) the form in which the order of assessment shall be passed;
- (d) the form in which notice of demand shall be issued.

(3) All rules made under this Section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

16. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by general or special order published in the official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as appear to be necessary or expedient for removal of the difficulty.

Power to remove difficulties.

17. (1) The Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhyadesh, 2018 (No. 2 of 2018) is hereby repealed.

Repeal and saving.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.